फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चन्देल निवासी अम्बिका चौक, जल चक्की, कॉकरोली, जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 37/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.08.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/573–74 दिनांक 28.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को (कोविड–19 लोकडाउन होने से दिनांक 20.03.2020 के पश्चात लोकडाउन खुलते ही) दिनांक 01.06.2020 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 05 के संबंध में आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने पर प्रार्थी अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 03 व 04 की सूचना प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग व बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जिसके कुल पृष्ठ 06 की राशि रूपये प्रार्थी से जमा कर दिनांक 03.07.2020 को उपलब्ध कराई गई हैं। प्रार्थी अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 05 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जिसके कुल पृष्ठ 64 की राशि 128 रूपये प्रार्थी से जमा कर दिनांक 03.07.2020 को उपलब्ध कराई गई हैं। प्रार्थी को दिनांक 03.07.2020 को 12 रूपये की जो सूचना उपलब्ध कराई गई उसमें बिन्दु संख्या 03 व 04 की भी उपलब्ध कराई गई किन्तु प्रार्थी द्वारा प्राप्ति रसीद में सेवन से बिन्दु संख्या 01 व 02 की प्राप्त करना अंकित किया गया हैं। किन्तु बिन्दु संख्या 03 व 04 की भी सूचना उपलब्ध कराई गई हैं फिर भी बिन्दु संख्या 03 व 04 की सूचना स्थापना अनुभाग से जो प्राप्त हुई थी उसकी प्रति इस जवाब के साथ संलग्न कर प्रार्थी को पुनः प्रेषित की जा रही हैं। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन से बिन्दु संख्या 01 से 05 की जो सूचना चाही गई वह प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। अतः कृपया अपील को निर्णित करना फरमावें। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाने से उक्त	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील आधारहीन होने से इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द